विधेयकों पर चुप्पी नहीं साध सकते राज्यपाल

| विवेक वार्ष्णेय

SPRF.IN

१२
२३

इशू ब्रीफ

Cover Image credits: www.*commons.wikimedia.org*

If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in
© Social Policy Research Foundation™

दिसंबर २०२३

इशू ब्रीफ

विधेयकों पर चुप्पी नहीं साध सकते राज्यपाल

| विवेक वार्ष्णेय

राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर अहम फैसला दिया है। राज्यपाल लम्बे समय तक विधेयकों को पेंडिंग नहीं रख सकते। संघीय ढांचे में राज्यपाल के अधिकार बहुत सीमित हैं। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां उन्हें संविधान के तहत अधिकार हासिल हैं।

तीन राज्य सरकारों ने दायर की हैं याचिकाएं

पंजाब, केरल और तमिलनाडु सरकार ने विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने पर अपने-अपने प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद का निपटारा कर दिया है। तमिलनाडु की विधान सभा ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयकों को दोबारा विधान सभा के पटल पर रखा। विधान सभा ने इन सभी विधेयकों पर एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने दोबारा पारित बिलों पर अपनी मंजूरी प्रदान नहीं की है। केरल के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी होने के बाद एक विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी और बाकी सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख लिया।

राज्यपाल केवल प्रतीकात्मक मुखिया

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता निर्वाचित सदस्यों के हाथ में होती है। केन्द्र में संसद और राज्य में विधान सभा के चुने हुए सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैबिनेट के रूप में सरकार अपना कामकाज करती है जिस पर विधायिका निगरानी रखती है। राष्ट्रपति देश के हर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल या गर्वनर सिर्फ नाममात्र के राज्य प्रमुख होते हैं। संविधान में साफतौर पर कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि कुछ विषयों पर राज्यपाल को विशेषाधिकार हासिल हैं। वह उस पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शासन का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकार

विधान सभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। दूसरे, वह मंजूरी प्रदान करने से मना कर सकते हैं तथा तीसरे, वह विधेयक पर विचार के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को जो कुछ भी करना है, वह जल्द से जल्द करना होगा। विधेयक को जैसे ही राज्यपाल के सम्मुख मंजूरी के लिए भेजा जाता है, उन्हें इस पर लिखित रूप से कार्यवाही करनी होगी। वह विधेयक के किसी प्रावधान को संशोधित करने की सिफारिश कर सकते हैं या वह विधान सभा से अनुरोध कर सकते हैं कि समूचे विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। यदि राज्यपाल विधेयक को वापस भेजते हैं तो विधान सभा को उस पर पुनर्विचार करना ही होगा। पुनर्विचार के अलावा विधान सभा के पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि विधान सभा राज्यपाल के अनुरोध पर उनके द्वारा सुझाए गए प्रावधान को संशोधित करके विधेयक पारित करती है या उनके अनुरोध को ठुकराकर पूर्व में पारित विधेयक को ज्यों का त्यों दोबारा पारित करती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी प्रदान करनी ही होगी। राज्यपाल विधान सभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक को मंजूरी प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। वह इसे रोक नहीं सकते। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनिश्चितकाल तक पेंडिंग नहीं रख सकते। उनके पास उपरोक्त तीन विकल्प हैं। उन पर उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेना होता है।

राज्यपाल को वित्तीय विधेयक के अलावा बाकी सभी विधेयकों पर यह अधिकार हैं। यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक में कानूनी खामियां हैं तो वह समूचे विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधान सभा के पास भेज सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि विधेयक के कुछ प्रावधान कानून सम्मत नहीं हैं या उन पर उन्हें आपत्ति है तो उस प्रावधान को संशोधित करने का विधान सभा से अनुरोध कर सकते हैं। विधेयक के किसी प्रावधान में कमी को सुधारने के लिए राज्यपाल विधायिका को अपने विचार से अवगत करा सकते हैं। भारतीय संविधान अपेक्षा रखता है कि राज्यपाल संविधान के ज्ञाता हैं और वह राज्य सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि दोबारा पारित विधेयक की स्वीकृति रोकने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। किसी भी विधेयक को लम्बे समय तक दबाकर रखना संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। बिना किसी कार्रवाई के विधेयक को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल चुप्पी नहीं साध सकते।

पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि गर्वनर के पास वीटो पावर नहीं है। वह राज्य सरकार के निर्वाचित मुखिया नहीं हैं। राज्यपाल को कुछ संवैधानिक दायित्व सौंपे गए हैं। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह विधायिका के कानून बनाने के अधिकार में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करे। मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक को बिना किसी वजह के लम्बे समय तक रोके रखने का मतलब होगा कि राज्यपाल को वीटो का अधिकार देना। संवैधानिक लोकतंत्र में राज्यपाल को यह हक प्रदान नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधायिका का एक हिस्सा हैं। वह संवैधानिक दायित्वों से बंधे हुए हैं। संवैधानिक लोकतंत्र के यह बुनियादी सिद्धांत हैं।

REFERENCES

State of Punjab Vs Principal Secretary to the Governor of Punjab and Another, Writ petition(-Civil) No 1224 of 2023

Samsher Singh Vs State of Punjab(1974) 2 SCC 831

SR Bommai Vs Union of India(1994) 3 SCC 1

State(NCT of Delhi) Vs Union of India(2018) 8 SCC 501

State of Telangana Vs Secretary to Her Excellency the Hon'ble Governor for the State of Telangana & Another

Practice and procedure of Parliament by Kaul and Shakdher

Ramdas Athawale Vs Union of India(2010) 4 SCC 1

SPRF.IN